


लॉस एंड डैमेज फंड से अमेरिका का बाहर होना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अमेरिका ने **लॉस एंड डैमेज फंड (LDF)** से खुद को अलग कर लिया है, जिससे **पेरिस समझौते** और **ग्रीन क्लाइमेट फंड** जैसी वैश्विक जलवायु प्रतबिद्धताओं से उसकी दूरी और बढ़ गई है।

- **LDF: मसिर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27** में गठित **LDF**, विकसित देशों के योगदान के साथ, **बढ़ते समुद्र स्तर, उष्ण लहरों और चरम मौसम** जैसी जलवायु-जनित क्षतियों का सामना कर रहे **विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों** का समर्थन करता है।
 - LDF का प्रबंधन एक **शासी बोर्ड** द्वारा किया जाता है, जिसका **अंतरिम ट्रस्टी विश्व बैंक** है।
 - **LDF** के तहत लगभग **750 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का वादा किया गया था, जिसमें वापस लेने से पहले **अमेरिका ने 17.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का योगदान दिया था।
- **अमेरिकी वापसी के नहितार्थ: भारत सहित सुभेद राष्ट्रों (जन्होंने अकेले ही मौसम संबंधी क्षति (2019-2023) में 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामना किया है)** को जलवायु सहायता में बढ़ती अनिश्चिता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्तर-दक्षिण जलवायु वार्ता पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।

//



जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा

समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
 - अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
 - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
 - इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
 - कानकून समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
 - पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के

अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
<ul style="list-style-type: none">राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	<ul style="list-style-type: none">कमजोर भारतीय राज्यों के लियेस्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
<ul style="list-style-type: none">राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	<ul style="list-style-type: none">आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करना
<ul style="list-style-type: none">अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	<ul style="list-style-type: none">UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्यवैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।



और पढ़ें: [लॉस एंड डैमेज फंड](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/us-withdrawal-from-loss-and-damage-fund>